

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त ८, २०१३/श्रावण १७, १९३५

No.173]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2013/SHRAVANA 17, 1935

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2013

का.आ. सं. 4-4/2009-नीति-I.—केन्द्र सरकार, ब्रॉडबैंड नीति, 2004 में निहित ब्रॉडबैंड की परिभाषा को निरस्त करते हुए और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में निहित भाग-IV (कार्यनीतियाँ) की मद संख्या 1.5 के अनुरूप तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, ब्रॉडबैंड की परिभाषा को निम्नवत संशोधित करती है:

"ब्रॉडबैंड एक डाटा कनेक्शन है जोकि इंटरनेट एक्सेस सिंहत अंतरसिंक्रय सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम है और जिसमें ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के आशय से सेवा प्रदाता के मौजूदगी स्थान (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पीओपी) से किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता को 512 केबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड गित प्रदान करने की क्षमता है।"

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

वी. उमाशंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2013

S.O. No. 4-4/2009-Policy-I.—In supersession of the definition of Broadband contained in the Broadband Policy, 2004 and in consonance with point 1.5 of part IV(Strategies) contained in the National Telecom Policy-2012 and after consideration of the recommendation of the Telecom Regulatory Authority of India, the Central Government is pleased to revise the definition of Broadband as follows:—

"Broadband is a data connection that is able to support interactive services including Interest access and has the capability of the minimum download speed of 512 kbps to an individual subscriber from the point of presence (POP) of the service provider intending to provide Broadband service."

This notification shall come in to force with immediate effect.

V. UMASHANKAR, Jt. Secy.